

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर
मदरसा पंजीयन आवेदन पत्र की चैक लिस्ट

1.	सदर/सचिव एवं मदरसा प्रबन्धन समीति के सदस्यों के नाम, पते व मोबाईल नम्बर तथा उनके हस्ताक्षर सहित (कमेटी में एक ही परिवार के सदस्य न हो) पत्रावली उपलब्ध है।	हाँ/नहीं
2.	भूमि भवन संबंधी दस्तावेज संलग्न है। जिनका पंजीयन फार्म के बिन्दु संख्या 08 में उल्लेख किया है।	हाँ/नहीं
3.	मदरसे में निःशुल्क शिक्षा या फीस का कक्षावार विवरण (संलग्न) है।	हाँ/नहीं
4.	पंजीयन फार्म के अन्त में की गई घोषणा निम्नांकित में से किसी एक व्यक्ति से प्रमाणित होना चाहिए) स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/जिला परिषद सदस्य/ प्रधान /उप प्रधान/ पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/उप सरपंच/वार्ड पंच/नगर निगम महापौर/उपमहापौर/नगर परिषद/नगर पालिका का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षद/राजकीय कर्मचारी।	हाँ/नहीं
5.	मदरसा संचालन का उद्देश्य एवं संविधान/आइन, यदि कोई निर्धारित कर रखा हो (संलग्न) है।	हाँ/नहीं
6.	बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति सदर/सचिव द्वारा प्रमाणित (संलग्न) है।	हाँ/नहीं
7.	संलग्न प्रपत्र में बच्चों के नामांकन की स्थिति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्रमाणित (संलग्न) है।	हाँ/नहीं
8.	निर्धारित प्रपत्र में सदर/सचिव का शपथ पत्र (संलग्न) है।	हाँ/नहीं
9.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (संलग्न) है।	हाँ/नहीं
10.	मदरसे के छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधा उपलब्ध है।	हाँ/नहीं
11.	पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।	हाँ/नहीं
12.	यदि बैंक खाता खुला हुआ है तो मदरसा समिति के बैंक खाते की पासबुक एवं निरस्त चैक की प्रति आवेदन के साथ (संलग्न) है।	हाँ/नहीं
13.	मदरसे में अध्ययन करवा रहे शिक्षकों एवं मौलवियों की सूची योग्यता विवरण सहित मय हस्ताक्षर के साथ (संलग्न) है।	हाँ/नहीं
14.	मदरसा भवन के अन्दर या बाहर के न्यूनतम 2-2 फोटोग्राफ संलग्न है।	हाँ/नहीं
15.	मदरसे की भूमि सरकारी अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ नहीं हो अर्थात् भूमि किसी भी प्रकार से विवादित ना हो। इसका सदर द्वारा दिया गया नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ-पत्र फॉर्म के साथ नियत प्रारूप में प्रस्तुत करें।(संलग्न है)	हाँ/नहीं

हस्ताक्षर सदर

प्रमाणित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 15 तक की जाँच मेरे द्वारा मूल दस्तावेज से कर ली गई है। मदरसा उक्त बिन्दुओं की पूर्ण पालना कर रहा है। अतः मदरसा पंजीयन नीति 2021 के अनुसार पंजीयन की अभिशप्ता की जाती है।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी